न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 45/2019

1 भंवरलाल पुत्र नाथूराम जाति जांगिड़ निवासी चक गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चक गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये प्रधानाध्यापक।
2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 01.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ प्रकरण अनुवानी भंवरलाल बनाम राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय आदि मुकदमा नम्बर 119/2017 आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–23-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 119/2017 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी की ग्राम चक गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ़ में आवासीय गुवाडी व बाड़ा स्थित है जिसमें अपीलांट ने विधुत सम्बंध व पानी का कनेक्शन काफी वर्षो से ले रखा है उक्त गुवाड़ी के पूर्वी तरफ गोचर भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 9.19 हैक्टेयर चारागाह दर्ज हो गयी व सन् 2001 में स्कूल के खेल मैदान हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लिया व अपीलांट की कब्जे अधिकार की भूमि को छोड़कर स्कूल मैदान हेतु 2.53 हैक्टेयर भूमि अलॉट की गयी व पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 को मौके पर पत्थरगढ़ी कर कब्जा सम्भला दिया, उस वक्त संस्था प्रधान ग्राम पंचायत का तत्कालीन सरपंच आदि व गांव के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित हुई जो आज भी पत्थरगढ़ी के पत्थर मौके पर मौजूद है पटवारी हल्का ने वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत अंकन ककर नक्शा गलत बना दिया जिसे दुरूस्ती हेतु वाद व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर वाद व आवेदन दर्ज करक रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलांट के कथनो का विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत किया व नक्शा में किसी प्रकार की गलती नम्बर किए जाने का कथन किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने दावा दायरी के समक्ष एकपक्षीय स्थगन दिनांक 05.10.2017 को जारी किया, दिनांक 27.06.2019 को अपीलांट ने विचारण न्यायालय के विरूद्व आवेदन मुन्तकिली मुकदमा प्रस्तुत किए जाने का प्रस्तुत कर दिया बाबत आवेदन के साथ श्रीमान जिला कलेक्टर सीकर द्वारा मांगी गयी टिप्पणी बाबत चिठी प्रस्तुत की विचारण न्यायालय से जब न्याय मिलने की उम्मीद न हो ऐसा जाहिर किए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाने पर उस पीठासीन अधिकारी को नैतिकता की दृष्टि से प्रकरण में सुनवाई ही नही करनी चाहिए लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा न कर विचारण न्यायालय ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूर्व में दिनांक 05.10.2017 से चल रहे है स्थगन को बिना अपीलांट को सुने ही अप्रार्थी/रेस्पोडेंट की एकपक्षीय बहस सुनकर आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा मैरिट पर जाकर विधि विरूद्व रूप से अपने निर्णय दिनांक 01.07.201 को अपीलांट का आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व कानून खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विद्यालय के खेल मैदान हेतु भूमि की नक्शे में तरमीम गलत की गई है। मौके पर अपीलांट काबिज है। अपीलांट को सुने बिना पत्रावली जवाब व तलवी की स्टेज पर होने के उपरान्त भी बिना विधिक प्रकिया अपनाये विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 239/3 के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस भूमि से अपीलांट का कोई सम्बंध सरोकार नही है। यह भूमि रेस्पोडेंट के खेल मैदान हेतु आवंटित है। इस भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस पर ग्राम पंचायत की शिकायत पर अतिक्रमण हटाया गया है। अपीलांट को इस भूमि के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 239/3 जो कि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन खेल मैदान के नाम से दर्ज है और खसरा नम्बर 239/1 रकबा 9.13 हैक्टेयर में से 2.53

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हैक्टेयर भूमि को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सीकर द्वारा चारागाह से पृथक की जाकर सिवायचक घोषित की गई है। चूंकि राजस्व रिकार्ड एवं जमाबंदी में प्रश्नगत भूमियां अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गैर मुमकिन खेल मैदान के नाम से दर्ज है। प्रकरण सरकारी विद्यालय के खेल मैदान से सम्बंधित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रमाणित नही है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर